भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. †**4649**

उत्तर देने की तारीख 22.07.2019

जवाधु पर्वत पर वन निवासी

† 4649. **श्री सी°एन° अन्नादुरई:**

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिरुवन्नामलै और वेल्लौर जिलों में जवाधु पर्वत पर कुल वन निवासियों का विवरण क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, **2006** के अंतर्गत पर्यावास और स्वयं कृषि करने के लिए मालिकाना हक हेतु पर्वत पर रह रहे मलयाली जनजातियों से प्राप्त दावों का ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत क्या नियम बनाए गए हैं;

(ग) आज की तिथि के अनुसार इनमें से निपटाए गए मामलों का ब्यौरा क्या है और शेष मामलों का ब्यौरा क्या है और उन मामलों में स्थिति रिपोर्ट क्या है;

(घ) जवाधु पर्वत पर रहने वाले ऐसे वन निवासियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) वित्त वर्ष **2014-19** के दौरान जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को दी गई अनुदान सहायता की मात्रा का ब्यौरा क्या है और इसका वर्ष/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(सुश्री रेणुका सिंह सरूता)

(क) : तमिलनाडु राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार तिरुवन्नामलै जिले के जवाधु हिल्स ब्लॉक में 11 गॉव तथा 279 निवासस्थान हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अजजा की जनसंख्या 47 ,084 (पुरूष = 23952, महिला = 23,129) है तथा वेल्लौर जिले के जवाधु हिल्स ब्लॉक में 32 गॉव हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अजजा की जनसंख्या 21,444 (पुरूष = 10,786, महिला = 10,658) है।

(ख) : तमिलनाडु राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा इसमें निहित नियमों के तहत वैयक्तिगत अधिकारों के लिए मलयाली जनजातियों से तिरुवन्नामलै जिले में 2 ,955 दावे तथा वेल्लौर जिलें में 1016 दावे प्राप्त हुए हैं।

(ग) : तमिलनाडु राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के दिनांक 18.07.2019 तक की स्थिति के अनुसार तिरुवन्नामलै जिले में 2 ,955 प्राप्त दावों में से 99 व्यक्तिगत अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं तथा 2 ,856 दावे प्रक्रियाधीन हैं और वेल्लौर जिले में 3,282 (1016 मलयाली) प्राप्त दावों में से 356 (91 मलयाली जनजाति) व्यक्तिगत अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं , 123 (115 मलयाली जनजाति) दावे प्रक्रियाधीन हैं तथा 2803 दावों को उप-मंडलीय स्तर पर निरस्त किया गया है।

(घ) : विगत 5 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा जवाधु हिल्स पर रहने वाले वननिवासियों को कोई वित्तीय सहायत प्रदान नहीं की गई है।

(ड.) : इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार , वित्तीय वर्ष 2014-19 के दौरान जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को निर्मुक्त सहायता अनुदान की मात्रा के वर्ष-वार तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

*****

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	निर्मुक्त निधि				
		2014-15	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
1	आंध्र प्रदेश	96.50	0.00	0.00	940.42	749.58
2	अण्डमान एवं निकोबार	41.00	50.00	0.00	0.00	99.00
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	647.99	253.01
4	असम	85.77	0.00	0.00	183.65	198.75
5	छत्तीसगढ़	164.50	0.00	0.00	168.73	504.49

6	गुजरात	69.91	86.53	0.00	2438.00	0.00
7	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	106.80
8	जम्मू और कश्मीर	0.00	10.00	340.00	0.00	97.00
9	झारखंड	107.11	0.00	0.00	0.00	1211.83
10	कर्नाटक	93.00	148.00	117.00	130.00	106.00
11	केरल	45.45	0.00	67.99	745.65	401.25
12	मध्य प्रदेश	157.50	78.75	54.35	732.51	738.34
13	महाराष्ट्र	58.10	0.00	0.00	0.00	485.01
14	मणिपुर	151.00	119.00	109.00	58.00	530.11
15	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	564.36
16	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00
17	ओडिशा	305.50	250.30	322.39	662.90	819.07
18	राजस्थान	77.33	63.25	0.00	169.25	214.00
19	सिक्किम	0.00	0.00	111.00	136.00	194.50
20	तमिलनाडु	32.50	132.30	0.00	133.20	177.25
21	तेलंगाना	60.16	0.00	121.90	339.50	454.00
22	त्रिपुरा	66.00	159.50	73.25	198.75	316.14
23	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	43.26	0.00	0.00
24	पश्चिम बंगाल	73.00	43.50	150.82	215.45	380.15
25	मेघालय	-	-	-	-	574.35
26	उत्तराखंड	-	-	-	-	0.00
	कुल	**1684.33**	**1141.13**	**1510.96**	**7900.00**	**10000.00**